

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D.1645...../

जबलपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

श्री रत्नेश रावते, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप दिनांक 02.10.2025 से 06.10.2025 तक एवं दिनांक 03.11.2025 से 04.11.2025 तक कुल 7 दिन का अवैतनिक किया जाता है।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D.1646...../

जबलपुर, दिनांक 17 / 02 / 2026

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. सहायक स्थापना/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर,
5. श्री रत्नेश रावते, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)